5.1.26

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

GCMS
2016/00046

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर राज0

**पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.**

**प्रकरण सं0 25/2016 RCMS2016/00046 दायर दिनांकः–15–1–2016**

1–किशनाराम पुत्र श्री लिच्छूराम
2–हेमराज पुत्र श्री किशनाराम
} अकवाम जाट साकिनान नागलिया तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

–––– प्रार्थीगण

बनाम

1– सीताराम पुत्र श्री भैराराम
2–भंवरलाल पुत्र श्री आदूराम
} अकवाम जाट साकिनान वार्ड न0 3 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

3–नवदी कुमार पुत्र श्री बागचन्द जाति कम्बोज साकिन नागलिया तहसील सूरतगढ

4– पृथ्वीराज पुत्र श्री किशनाराम (फौत)

4/1– पुष्पा पत्नी श्री पृथ्वीराज
4/2– प्रदीप पुत्र श्री पृथ्वीराज
4/3– प्रियंका पुत्री श्री पृथ्वीराज
4/4– पायल पुत्री श्री पृथ्वीराज
} अकवाम जाट साकिनान वार्ड न0 3 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

5–अमित सोमानी पुत्रश्री किशनलाल सोमानी जाति सोमानी साकिन वार्ड न0 15 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

–– अप्रार्थीगण

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिकारी 1955**

**उपस्थित :–**

1– **श्री राजाराम भादू , राजवीर भादू अभिभाषकगण प्रार्थी**
2– **श्री रामनारायण जालप अभिभाषक अप्रार्थी न0 4/1 ता 4/4**
3– **श्री भागीरथ बिश्नोई , अमित सैनी अभिभाषकगण अप्रार्थी स0 5**

**–:– निर्णय –:–** दिनांकः– 05.01.2026

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी , अप्रार्थी न0 4/1 ता 4/4 व 5 उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता /दादा लिच्छुराम के नाम रोही मौजा सूरतगढ के खसरा न0 444/4 में 38–00बीघा आंवटन शुदा रकबा था जिस में से 25–00बीघा 1955 पूर्व का होने के कारण खातेदारी तथा शेंष 13–00बीघा रकबा 1955 बाद का होने के कारण राजस्व रिकार्ड चला आ रहा था तथा प्रार्थीगण के पिता/ दादा द्वारा खातेदार रकबा की वसीयत प्रार्थी न0 2 व अप्रार्थी न0 4 के पक्ष में निष्पादित करवा दी गई। प्रार्थीगण के पिता/दादा को रोही सूरतगढ के खसरा न0 444/4 में 38–00बीघा जिसमें से 25–00बीघा 1955 पूर्व खातेदार तथा 13–00बीघा 1955 बाद का रकबा चला आ रहा है उक्त जैरवाद रकबा में वर्तमान में नये मिन बनने पर खसरा न0 617/444 में 6.325 है0 बारानी एवं खसरा न0 616/444 में 3.289 है0 बारानी रकबा पैमुद कर [illegible] लगभग 60 वर्षो से प्रार्थीगण के पिता/दादा का कब्जा काश्त एवं उनके देहान्त के पश्चात प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पिता/दादा लिच्छूराम पुत्र श्री [illegible] का देहान्त हो चुका है तथा प्रार्थीगण लिच्छूराम का जायज वारिसान होने [illegible] खाता सं0 200/157 में 3.289 है0 बारानी का कृषक घोषित किया जावे प्रार्थी न0 1 घोषणा करवाने का मूश्तहक है । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी न0 4 द्वारा अपने पिता/ दादा की खातेदार आवंटन शुदा रकबा पर आर्थिक खर्च कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

कठिन परिश्रम से इतने वर्षो से काबिल काश्त किया तथा बंजड़ रकबा पर लाखो रूपये लगाकर तारबन्दी कर चारो और ऊँची – ऊँची बाड़ कर रखी है तथा जैर वाद रकबा को काश्त के लिए टयुबैल से सिंचित कर फसले काश्त की जा रही है तथा उक्त रकबा में मकान बना रखा है । अप्रार्थीगण न0 1 ता 3 झगड़ालू प्रवृति का व्यक्ति है एवं अपने व्यसनो की पूर्ति तथा बिना किसी आवश्यकता के तथा बिना किसी कानूनन अधिकार के प्रार्थीगण के जैरवाद रकबा पर कब्जा कर हस्तान्तरण करने पर उतारू है यदि अप्रार्थी सं0 1 अपने मकसद में कामयाब होकर प्रार्थी को उसके कब्जा काश्त व घरू बंटवारा में प्राप्त रकबा से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई होनी बड़ी मुश्किल होगी । तथा वाद–पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इस कारण प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी सं0 1 इस आशय का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने का निवेदन किया ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्र किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन से तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 4 के देहान्त होने पर अप्रार्थी सं0 4 के वारिसान अप्रार्थी न0 4/1 ता 4/4 को पक्षकार बनाया गया । अप्रार्थी न0 4/1 ता 4/4 का अभिभाषक रामनारायण जालप एवं अप्रार्थी सं0 5 का अभिभाषक श्री भागीरथ बिश्नोई उपस्थित होकर अपना जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया ।

अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता /दादा लिच्छुराम के नाम रोही मौजा सूरतगढ के खसरा न0 444/4 में 38–00बीघा आंवटन शुदा रकबा था जिस में से 25–00बीघा 1955 पूर्व का होने के कारण खातेदारी तथा शेंष 13–00बीघा रकबा 1955 बाद का होने के कारण राजस्व रिकार्ड चला आ रहा था तथा प्रार्थीगण के पिता/ दादा द्वारा खातेदार रकबा की वसीयत प्रार्थी न0 2 व अप्रार्थी न0 4 के पक्ष में निष्पादित करवा दी । उक्त जैरवाद रकबा में वर्तमान में नये मिन बनने पर खसरा न0 617/444 में 6.325 है0 बारानी एवं खसरा न0 616/444 में 3.289 है0 बारानी रकबा पैमुद कर दिया गया लगभग 60 वर्षो से प्रार्थीगण के पिता/दादा का कब्जा काश्त एवं उनके देहान्त के पश्चात प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पिता/दादा लिच्छूराम पुत्र श्री भीराज का देहान्त हो चुका है तथा प्रार्थीगण लिच्छूराम का जायज वारिसान होने के कारण रोही सूरतगढ के खाता सं0 200/157 में 3.289 है0 बारानी का कृषक घोषित किया जावे प्रार्थी न0 1 घोषणा करवाने का मूस्तहक है । अप्रार्थीगण न0 1 ता 3 झगड़ालू प्रवृति का व्यक्ति है एवं अपने व्यसनो की पूर्ति तथा बिना किसी आवश्यकता के तथा बिना किसी कानूनन अधिकार के प्रार्थीगण के जैरवाद रकबा पर कब्जा कर हस्तान्तरण करने पर उतारू है यदि अप्रार्थी सं0 1 अपने मकसद में कामयाब होकर प्रार्थी को उसके कब्जा काश्त व घरू बंटवारा में प्राप्त रकबा से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई होनी बड़ी मुश्किल होगी । तथा वाद–पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए प्रार्थी ने वाद–पत्र के निर्णय तक निषेधाज्ञा को यथावत रखने का निवेदन किया।

अप्रार्थी न0 5 के अभिभाषक ने जबाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी स0 5 ने जैरवाद भूमि में से [illegible] 444 में 0.253 है0 भूमि जरिये बैयनांमा दिनांक 23–05–2014 के प्रार्थी नं0 2 [illegible] श्री किशनाराम से खरीद की है । खरीद के समय से ही अप्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा [illegible] चला आ रहा है । प्रार्थीगण अपने नाम से अंकित अधिक भूमि पर [illegible] 0.253 है0 भमि है पर अस्थाई निषेधाज्ञा एक तरफा ातोर पर जारी [illegible] प्रकार के स्थगन से मुझ अप्रार्थी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है । इसलिए प्रार्थीगण का स्थगन को खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैजो का गहनता से पठन व मनन किया गया । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 5 के नाम रोही कस्बा सूरतगढ के खसरा न0 617/444 में 6.325 है0 बारानी खातेदारी भूमि में प्रार्थी न0 1 पृथ्वीराज की 3.162 है0 , प्रार्थी न0 2 की 2.909 है0 एवं अप्रार्थी स0 5 की 0.0253 है0 खातेदारी भूमि एवं खसरा न0 616/444 में 3.289 है0 बारानी आ0का0 पश्चात भूमि प्रार्थीगण के पिता/ दादा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है । अप्रार्थी न0 5 के जबाब प्रार्थना–पत्र में उक्त भूमि 0.253 है0 प्रार्थी न0 2 से खरीद की है । तथा अप्रार्थी न0 5 ने अपने हक व हिस्सा के स्थगन आदेश पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है । अन्य किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नही आई है। एवं प्रार्थी के अभिभाषक ने स्थगन आदेश अप्रार्थी न0 5 पर किसी प्रकार से प्रभावी नही होना बताया है इस तमाम तथ्यों को मध्य नजर रखते हुये अप्रार्थी नं0 5 के हक व हिस्सा की भूमि को छोड़ कर शेष रकबा पर प्रार्थना–पत्र. स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार आंशिक प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी न0 1 ता 3 को पाबन्द किया जाता है कि जैरवाद रकबा रोही कस्बा सूरतगढ के खसरा न0 617/444 में 6.072 है0 बारानी खातेदारी भूमि एवं खसरा न0 616/444 में 3.289 है0 बारानी आ0का0 पश्चात रकबा को वाद–पत्र के निर्णय तक किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करे , ना किसी अन्य से करवाये , मौका की यथास्थिति बनाये रखे । तथा पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 15–01–2016 को संशोधित करते हुये अप्रार्थी नं0 5 का खरीद एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज 0.253 है0 रकबा तक स्थगन आदेश हटाया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05-01-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

( भरत जयप्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested